O/o CE (EITC)
Receipt No. 4107
Date 17 DEC 2020
DGM (IT) / SE (O)
EE........................
Section ....

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि, रायपुर में अपीलीय अधिकारी श्री एच.के.पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

अपील प्रकरण कमांक 28/2020 दिनांक 16.09.2020

श्री सुरेश कुमार चकवर्ती
अधीक्षण अभियंता, रायपुर
अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
होल्डिंग कंपनी, रायपुर
प्रतिअपीलार्थी

—:: आदेश ::—

(दिनांक ......27/11/2020...... को पारित)

अपीलार्थी श्री सुरेश कुमार चकवर्ती रायपुर की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन दिनांक 09.09.2020 प्रस्तुत किया गया है, जो इस कार्यालय में दिनांक 16.09.2020 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन को पंजीयन क्रमांक 28/2020 दिनांक 16.09.2020 के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित जानकारी चाही गई है :—

(अ) वर्ष 1999 में जितने भी सहायक यंत्री स्तर के अधिकारियों की पदोन्नति कार्यपालन यंत्री हेतु की गई है उन सभी की पदोन्नति आदेश की मूलप्रति की छायाप्रति।

(ब) वर्ष 1999 के बाद (2000 से 2004 तक) सहायक यंत्री से कार्यपालन यत्री की पदोन्नति हेतु बनाई गई पेनल लिस्ट की मूलप्रति की प्रति।

अधोहस्ताक्षरकर्ता (अपीलीय अधिकारी) कोविड—19 संक्रमण से ग्रसित होने के कारण कुल 22 दिनों तक अवकाश पर रहे है। अतएव अपील की सुनवाई में विलंब हुआ है।

दर्ज अपील प्रकरण की सुनवाई दिनांक 24.11.2020 को सांय 4.00 बजे निर्धारित की गई। उक्त तिथि को अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—एक, उपरिथत हुए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(3) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी का तर्क कि कंडिका 02/—टीप में चाही गई जानकारी के संबंध में निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदक को पत्र कमांक 1866 दिनांक 07.08.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिनांक 22.07.2020 से 06.08.2020 तक पूरे प्रदेश में लॉक—डाऊन पीरेड चल रहा था। जैसा कि मुख्य अभियंता (संचा./संधा.) छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि. रायपुर के कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी COVID-19 से संक्रमित पाया गया है। उक्त संक्रमित कर्मचारी

द्वारा संक्रमण पुष्टि होने के पूर्व इस कार्यालय के संबंधित प्रभाग में संपर्क स्थापित किया गया है। अतः COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु संबंधित प्रभाग में कार्यरत दोनों कर्मचारी को वर्तमान में क्वारंटाईन अवधि में रखा गया है। अतः आपको चाही गई जानकारी निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। अतः क्वारंटाईन अवधि समाप्ति पश्चात् वांछित जानकारी आपको नियमानुसार उपलब्ध करायी जा सकती है।

संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक द्वारा दिनांक 18.08.2020 के माध्यम से वांछित जानकारी/दस्तावेज सूचना प्रभाग को कुल 21 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गई। पत्र क्रमांक 1944 दिनांक 20.08.2020 के माध्यम से आवेदक को 21 पृष्ठों की दस्तावेज हेतु अभिलेख शुल्क रूपये 42/–मात्र का भुगतान करने बाबत् सूचित किया गया। आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान कार्यालय में उपस्थित होकर नगद के द्वारा किया गया। तद्पश्चात पत्र क्रमांक 2039 दिनांक 07.09.2020 के माध्यम से आवेदक को जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराया गया है।

(4) (अ) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) के तर्क श्रवण किये गये।

(ब) अपीलार्थी का तर्क कि उन्हे जो जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गई है वह पूर्ण रूप से मांगी गई जानकारी से कोई संबंध नही है। अतः उन्हे जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी जाए।

(स) जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) का तर्क कि आवेदक को कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों/अभिलेखों के आधार पर बिन्दु क्रमांक 01 के संबध में अवगत कराया गया है कि वर्ष 1999 में सहायक यंत्री के पद पर नियुक्ति पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा की गई थी। अतः आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी यथा 1999 में नियुक्त सहायक यंत्री स्तर के अधिकारी की पदोन्नति कार्यपालन यंत्री हेतु की गई है से संबंधित पूर्ण जानकारी इस प्रभाग में उपलब्ध नही है। तथापि 1999 में नियुक्त CSEB आबंटित एवं छ.ग.स्टे.पा.कं. में कार्यरत सहायक यंत्रियों के नाम कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति के हेतु जारी जिन आदेशों में उल्लेखित है, की छायाप्रति 20 पृष्ठों में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक 02 के संबंध में लेख है कि वांछित वर्ष 1999 के बाद (2000 से 2004 तक) सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री की पदोन्नति हेतु बनाई गई पेनल लिस्ट इस कार्यालय में इस तरह की जानकारी संधारित नही है। तत्संबंध में लेख है कि भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/18/2011–आई.आर. दिनांक 16.09.2011 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना आपेक्षित नही है।

जहॉ तक कंड़िका 04 (ब) का प्रश्न है आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध नही है। उक्त जानकारी/दस्तावेज मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में संभावतः उपलब्ध हो सकती है। अतः आवेदक मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय से उक्त जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर सकते है।

(5) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंडिका 03/–टीप में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है, जो स्वीकार योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा कंड़िका 2/–टीप में जो दस्तावेज चाही गई है वह वर्ष 1999 की सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री के पदोन्नति से संबंधित अभिलेख है। अतएव कार्यालयीन अभिलेखों के

आधार पर अपीलार्थी को कुल 21 पृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है, जो तर्कसंगत है।

जहाँ तक अपीलार्थी के अपील का प्रश्न है कंड़िका 04/–टीप के पैरा (स) के दृष्टिगत अपीलार्थी उक्त जानकारी/दस्तावेज मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। जिससे अपीलार्थी संतुष्ट हुए। परिणामतः प्रकरण में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 28/2020 दिनांक 16.09.2020) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

Hairly

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

कमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –28/2020/80 रायपुर, दिनांक 27/11/2020

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) श्री सुरेश कुमार चक्रवर्ती, अधीक्षण अभियंता (HTFS) कार्यालय– मुख्य अभियंता (सतर्कता) छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, जिला– रायपुर (छ.ग.)
पिन – 492002

Hairly

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700